

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आदेश

काआ0सं0-01/स्था0 (क0अ0)-08/2025-3812 न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-03.04.2025

अन्य कार्य विभागों से विभिन्न आदेशों द्वारा सेवा प्राप्त एवं योगदान समर्पित किये गये नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-05 में अंकित नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0सं0	कनीय अभियंता (विद्युत) का नाम	पंजीयन संख्या	पैतृक विभाग	पदस्थापन स्थल
1	2	3	4	5
1	सुश्री श्रेया सुधा/नालंदा	BR00150010097609	भवन निर्माण विभाग	कनीय अभियंता (विद्युत), नगर विकास प्रमंडल (भागलपुर नगर निगम क्षेत्र), भागलपुर
2	श्री राहुल कुमार/वैशाली	BR00150010066386	भवन निर्माण विभाग	कनीय अभियंता (विद्युत), नगर विकास प्रमंडल-1, (गया नगर निगम क्षेत्र), गया
3	पूजा कुमारी सिंह/जहानाबाद	BR00150010081662	भवन निर्माण विभाग	कनीय अभियंता (विद्युत), नगर विकास प्रमंडल, पटना पश्चिमी, पटना
4	श्री शशिकांत कुमार/नालंदा	BR00150010043819	भवन निर्माण विभाग	समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु बुडको में सेवा
5	श्री पंकज कुमार आनंद/मुजफ्फरपुर	BR00150010050059	भवन निर्माण विभाग	समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु बुडको में सेवा
6	श्री अशोक कुमार बैठा/सारण	BR00150010034676	भवन निर्माण विभाग	समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु PMRCL में सेवा
7	श्री शैलेन्द्र कौशिक/सीतामढ़ी	BR00150010057147	भवन निर्माण विभाग	समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु PMRCL में सेवा
8	श्री रत्नेश कुमार/वैशाली	BR00150010053338	भवन निर्माण विभाग	समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु PMRCL में सेवा
9	श्री दीपक कुमार दास/वैशाली	BR00150010094216	भवन निर्माण विभाग	समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु PMRCL में सेवा
10	श्री रोमा कुमारी/पटना	BR00150010058224	जल संसाधन विभाग	कनीय अभियंता (विद्युत), नगर विकास प्रमंडल (मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र), मुजफ्फरपुर

11	मीनाक्षी कुमारी/पटना	BR00150010066186	जल संसाधन विभाग	समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु बुडको में सेवा
12	मलका प्रवीन/पटना	BR00150010067625	जल संसाधन विभाग	समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु बुडको में सेवा

2. यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं तथा शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानते हुए की जा रही है। यदि भविष्य में उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाती है तो इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। संबंधित कार्यालय अपने स्तर से भी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) की शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेखों की जाँच कर लेंगे।

3. यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) के पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही हैं। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

4. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) को निदेश दिया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर नव पदस्थापित कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता, आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी शपथ पत्र एवं अन्य वांछित कागजात की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

5. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) अपने पदस्थापित कार्यालय में नगर विकास एवं आवास विभाग में दिये गये योगदान प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) का नगर विकास एवं आवास विभाग में समर्पित किये गये योगदान की तिथि सेवेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालय से भुगतये होगा।

6. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके कार्यालय में पदस्थापित कनीय अभियंताओं (विद्युत) का योगदान प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. संबंधित कार्यालय/विभाग को यह निदेशित किया जाता है कि पूर्व से नियोजित/सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) की

योगदान की स्वीकृति एवं वेतनादि की निकासी की कार्रवाई पूर्व में कार्यरत संस्थान के सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/विरमन पत्र की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् करेंगे एवं इसकी सूचना इस विभाग को भी उपलब्ध करायेगें।

8. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) का तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) की वेतनादि का भुगतान तब तक नहीं की जायेगी जब तक इनकी नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

9 बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नव नियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) का नई अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या (PRAN No)निश्चित रूप से सृजित कर लिया जाय।

10. नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

11. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्ध कर दिया जायेगा।

(विजय प्रकाश मीणा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-01/स्था0 (क0अ0)-08/2025-3811 न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक-03.04.2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ /अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-07 को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बुडको/पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (PMRCL)/बिहार राज्य आवास बोर्ड/निदेशक,

वाल्मी पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—सभी संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—श्री पंकज कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/4/25
सरकार के अपर सचिव।